ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi – 110070
Ph. No.: 011-26131578, 011-26131580, 011-29581000Website: www.aicte-india.org

PUBLIC NOTICE FOR APPROVAL PROCESS 2020-21

AICTE invites applications for approval from all the existing and new Technical Institutions for conducting Technical Programmes/ Courses **for the academic session 2020-21** in the following categories.

All applicants are requested to read carefully and thoroughly the AICTE Approval Process Hand Book 2020-21 and All India Council for Technical Education (Grant of approval for Technical Institution) Regulations, 2020 which are available at www.aicte-india.org before submitting online applications on AICTE Web Portal for the Academic Session 2020-21.

1. New Technical Institutions

Applications for "Setting up New Technical Institutions Offering Technical Programmes in Engineering and Technology/ Pharmacy/ Architecture/ Planning/ Applied Arts and Crafts/ Design/ Hotel Management and Catering Technology/ MCA/ Management at Diploma/ Post Diploma Certificate/ Under Graduate Degree/Post Graduate Diploma/ Post Graduate Degree Levels" shall be permitted **only in cases as specified in the Approval Process Handbook**.

The Institutions approved by the Pharmacy Council of India in the previous Academic Years/ Existing Institutions offering Courses in Applied Arts and Crafts/ Design/ Vocational (Technical) Programmes/ Non-Technical Institutions conducting MCA/ MBA, without the approval of AICTE and seeking approval for the first time from AICTE, shall submit an application as a new Technical Institution.

In view of the orders passed by the High Court of Delhi to PCI, AICTE also shall allow the applicants to submit applications for New Pharmacy Institutions which thereafter shall be processed. However, no final decision shall be taken till the Court gives the final Order in this matter.

In compliance to the order dated 08.11.2019 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in CA No.364/ 2005,forthe Institutions intending to offer/ offering Courses in Architecture Programme, approval by the Council of Architecture is mandatory, however interested Institutions may apply to the AICTE for approval.

Institution Deemed to be University seeking approval for the first time from AICTE (in compliance to the order dated 03.11.2017 passed by the Hon'ble Supreme Court Order CA No.17869-17870 /2017) shall submit an application as a new Technical Institution.

State and Central Universities/ Constituent Colleges/ Private Universities, if interested in seeking approval from AICTE for the first time may submit an application as a new Technical Institution.

2. Existing Technical Institutions

Applications from Existing Technical Institutions offering Technical Programmes in Engineering and Technology/ Pharmacy/ Architecture/ Planning/ Applied Arts and Crafts/ Design/ Hotel Management and Catering Technology/ MCA/ Management at Diploma/ Post Diploma Certificate/ Under Graduate Degree/ Post Graduate Diploma/ Post Graduate Degree Levels affiliated to University/ Board or Standalone Institutions for

- Extension of Approval based on Self-Disclosure
- Introduction/ Continuation of seats for Non Resident Indian(s)
- Change of Site/ Location
- Conversion of Diploma Level into Degree Level and vice-versa

- To start new Programme/ Level in the existing Institutions
- Merger of Institutions under the same Trust/ Society/ Company operating in the same Campus
- Extension of Approval of the existing Institutions after a break in the preceding Academic Year/ Restoration of Intake
- To start Diploma/ Degree in Pharmacy in existing Institutions
- Introduction/ Continuation of supernumerary seats for Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Persons of Indian Origin (PIO)/ Children of Indian Workers in Gulf Countries
- Conversion of Women's Institution into Co-ed Institution and vice-versa
- Increase in Intake/ Additional Course(s)
- Introduction of Integrated/ Dual Degree Course
- Closure of the Institution
- Conversion of PGDM Course(s) into MBA Course(s) and vice-versa
- Closing of MCA Course and Introduction of MBA/ PGDM Course and vice-versa
- Conversion of Courses into allied Vocational Courses
- Introduction/ Continuation of Fellow Program in Management
- Change in the Name of the Course(s)/ Merger of the Courses/ Reduction in Intake/ Closure of Programme(s)/ Course(s)
- Change in the Name of the Institution or affiliating University/ Board or type of Institution (Institution(s) converted to a University)
- Change in the Minority Status of the Institution
- Change in the Name of the Bank
- Change in the Name of the Trust/ Society/ Company
- Extended EoA
- Collaboration and Twinning Programme between Indian and Foreign University/ Institution in the field of Technical Education, Research and Training

3. Vocational Educational Courses

Applications from the existing Institutions offering Technical Programmes at Diploma/ Under Graduate Degree and affiliated to Board/ University for seeking approval for Introduction/ Continuation of Vocational Education Programme(s) leading to Diploma / Degree in Vocational Education under NSQF.

4. Courses in Open and Distance Learning Mode

Applications from the Standalone Institutions/ Institutions Deemed to be Universities for seeking approval for Introduction/ Continuation of Courses in Open and Distance Learning Mode.

Submission of online applications for the session 2020-21 shall **begin on 6th February, 2020** and **end on 29th February, 2020**. The last date for submission of online applications with penalty for Extension of Approval based on self-disclosure **for existing Institutions** is permitted up to **5th March, 2020**. **It may be noted that there shall be no further extension of date.**

Note: All the Institutions are requested to visit AICTE Website at "www.aicte-india.org > Approval Process 2020-21 Quick link" regularly for all General Notifications, Updated Information and Official Communications related to Approval Process 2020-21. There will not be any other individual communication to the Institutions.

AICTE is also organizing Stakeholder's Workshops appraising the changes in Approval Process Handbook 2020-21 as per the following Schedule. Interested stakeholders can register on the portal for the same.

10th February 2020 - 10:00 AM Sardar Patel College of Engineering, Andheri, Mumbai
12th February 2020 -10:00 AM AICTE Auditorium, New Delhi
13th February 2020 - 10:00 AM JNTU Auditorium, Anantapur

Prof. RAJIVE KUMAR
Member Secretary, AICTE

Advt. No: Approval/

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
फोन : 011–26131578, 011–26131580, 011–29581000 वेब–साईट : www.aicte-india.org

अनुमोदन प्रक्रिया 2020–21 हेतु सार्वजनिक सूचना

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा **शैक्षणिक सत्र 2020–21** हेतु तकनीकी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सभी विद्यमान तथा नई तकनीकी संस्थाओं से निम्नानुसार श्रेणियों के अनुमोदन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :

सभी आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए अभातशिप के वेब–पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने से पहले अभातशिप की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2020–21 तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2020 का अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सम्पूर्णतः अध्ययन कर लें, जोकि अभातशिप के वेब पोर्टल : www.aicte-india.org पर उपलब्ध हैं।

1. नए तकनीकी संस्थान

केवल अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार मामलों में ही "डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण–पत्र/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री स्तरों पर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/भेषजी/वास्तुकला/आयोजना/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/डिजाईन/होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी/एमसीए/प्रबंधन में तकनीकी कार्यक्रम चलाने के लिए नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने हेतु" आवेदनों को अनुमति दी जाएगी।

अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक, पिछले शैक्षणिक वर्षों में भारतीय भेषजिक परिषद् द्वारा अनुमोदित सस्थाएं/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प में पाठ्यक्रम संचालित कर रही विद्यमान संस्थाए/डिजाइन/व्यावसायिक (तकनीकी) कार्यक्रम/एम.सी.ए./एम.बी.ए. जैसे कार्यक्रम संचालित कर रही गैर–तकनीकी संस्थाएं जिनके पास अभातशिप का अनुमोदन नहीं है, अपना आवेदन नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में जमा करेंगी।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय भेषजिक परिषद् को पारित आदेशों के आलोक में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) भी आवेदकों को नए भेषजी संस्थानों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देगी तत्पश्चात् उनका प्रक्रमण किया जाएगा। तथापि, कोई अंतिम निर्णय तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि अदालत इस मामले में अंतिम आदेश नही देती।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सी.ए. संख्या 364/2005 के आलोक में दिनांक 08.11.2019 को पारित किए गए आदेश के अनुपालन में, वास्तुकला कार्यक्रम में पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने/प्रदान करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए वास्तुकला परिषद् का अनुमोदन अनिवार्य है, तथापि इच्छुक संस्थान अभातशिप के अनुमोदन हेतु अभातशिप के पास आवेदन कर सकते हैं।

अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक मानित विश्वविद्यालय (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गए आदेश सीए संख्या 17869–17870/2017 दिनांक 03.11.2017 के अनुपालन में) नई संस्थाओं के रूप में आवेदन जमा करेंगे।

अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय/घटक महाविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में आवेदन जमा करेंगे।

2. विद्यमान तकनीकी संस्थान

विद्यमान तकनीकी संस्थाओं से, जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी/भेषजी/वास्तुकला/आयोजना/अनुप्रयुक्त कला और शिल्प/डिजाइन/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी/एमसीए/प्रबंधन में डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाणपत्र/ स्नातक पूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर विश्वविद्यालयों/बोर्ड से संबद्ध तकनीकी कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं अथवा एकल (स्टैण्डअलोन) संस्थाओं से निम्नलिखित के लिए आवेदन :–

- स्व–प्रकटीकरण के आधार पर अनुमोदन का विस्तार
- अनिवासी भारतीय(यों) (एनआरआई) के लिए सीटें आरंभ करना/जारी रखना
- स्थान/स्थिति में परिवर्तन
- डिप्लोमा स्तर का डिग्री स्तर में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय
- विद्यमान संस्थाओं में नए कार्यक्रम (मों)/स्तर (रों) को आरम्भ करना
- एक ही न्यास/सोसायटी/कंपनी द्वारा एक ही परिसर में चलाई जा रही संस्थाओं का विलय करना
- विद्यमान संस्थाओं में अनुमोदन का विस्तार (ईओए) पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष(र्षों) में रोक के उपरांत अनुमोदन जारी

करना / प्रवेश–क्षमता को बहाल करना (रिस्टोरेशन)

- विद्यमान संस्थानों में भेषजी में डिप्लोमा / डिग्री आरम्भ करना।
- विदेशी राष्ट्रिक (एफ.एन.) / ओसीआई / पीआईओ / खाड़ी देशों मे कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों हेतु अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना / जारी रखना
- महिला संस्था का सह–शिक्षण संस्था में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय
- प्रवेश–क्षमता / अतिरिक्त पाठ्यक्रम (मों) में वृद्धि
- एकीकृत / दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करना
- संस्था को बंद करना
- पीजीडीएम पाठ्यक्रम को एमबीए पाठ्यक्रमों में परिवर्तित करना तथा इसके विपर्यय
- एमसीए पाठ्यक्रमों को बंद करना तथा एमबीए / पीजीडीएम पाठ्यक्रम आरंभ करना तथा इसके विपर्यय
- पाठ्यक्रमों का संबद्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में परिवर्तन
- प्रबंधन में अध्येता (फेलो) कार्यक्रम आरंभ करना / जारी रखना
- पाठ्यक्रम (मों) के नाम में परिवर्तन / पाठ्यक्रमों का विलय करना / प्रवेश–क्षमता में कमी / कार्यक्रम (मों) / पाठ्यक्रम (मों) को बंद करना
- संस्था अथवा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय / बोर्ड के नाम में अथवा संस्था(ओं) के प्रकार में परिवर्तन (संस्थान को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना)
- संस्था की अल्पसंख्यक स्थिति में परिवर्तन
- बैंक के नाम में परिवर्तन
- न्यास / सोसायटी / कम्पनी के नाम में परिवर्तन
- अनुमोदन में विस्तार (ईओए) को आगे बढ़ाना
- तकनीकी शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों / संस्थाओं के बीच सहयोग एवं ट्विनिंग कार्यक्रम

3. व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम

डिप्लोमा / स्नातकपूर्व डिग्री स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाली विद्यमान तथा बोर्ड / विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थाओं से राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढ़ाँचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत डिप्लोमा / डिग्री प्रदान करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (ओं) आरंभ करने / जारी रखने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन।

4. मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा रीति से पाठ्यक्रम

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा रीति से पाठ्यक्रम आरंभ करने / जारी रखने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्टैण्डअलोन संस्थाओं / मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन।

सत्र 2020–21 के लिए उपरोक्त दिए गए सभी अनुमोदनों हेतु ऑनलाईन आवेदन जमा करने दिनांक **06 फरवरी, 2020 से आरंभ** होंगे तथा **29 फरवरी, 2020 को बंद** होंगे। **केवल विद्यमान संस्थाओं को** स्व–प्रकटन (Self-disclosure) आधार पर अनुमोदन में विस्तार हेतु ऑनलाईन आवेदन जुर्माने सहित (अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2020–21 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार) जमा करने के लिए दिनांक **05 मार्च, 2020** तक अनुमति दी जाएगी। **यह नोट कर लिया जाए कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि को नही बढ़ाया जाएगा।**

टिप्पणी :– सभी संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी सामान्य अधिसूचनाओं, अद्यतन सूचना तथा अनुमोदन प्रक्रिया 2020–21 के लिए आधिकारिक संवाद के लिए नियमित आधार पर अभातशिप की वेबसाईट "www.aicte-india.org > approval Process 2020-21 Quick link" देखें। संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत तौर पर कोई अन्य संवाद नहीं किया जाएगा।

अभातशिप द्वारा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2020–21 में हुए परिवर्तनों से लाभार्थियों को अवगत कराने हेतु लाभार्थियों के लिए निम्न सारणी के अनुसार कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इच्छुक लाभार्थी इसके लिए अभातशिप के पार्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं :

10 फरवरी, 2020 – प्रातः 10:00 बजे	सरदार पटेल इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अंधेरी, मुम्बई
12 फरवरी, 2020 – प्रातः 10:00 बजे	अभातशिप सभागार, नई दिल्ली
13 फरवरी, 2020 – प्रातः 10:00 बजे	जेएनटीयू सभागार, अनंतापुर

प्रो० राजीव कुमार
सदस्य सचिव, अभातशिप

विज्ञापन सं. : अनुमोदन/